दिनांक 22.07.2024	
प्रेस विज्ञप्ति 26/2024	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद कुशीनगर/थाना अहिरौली बाजार</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 54 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **03 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 22.07.2024 को थाना अहिरौली बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम तिनहवा पुलिया के पास से अभियुक्त जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 54 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 03 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना अहिरौली बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अहिरौली बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोरखपुर, कुशीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जमालुद्दीन निवासी बेन्दुआर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 54 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–03 मोबाइल फोन आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–113

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 चार पहिया वाहन**
- **19 चाबी**
- **06 कूट रचित आर0सी0**
- **वाहन चोरी करने के उपकरण आदि बरामद**

दिनॉकः 22.07.2024 को थाना सेक्टर–113 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एफ0एन0जी0 रोड भारत अस्पताल के पास से 06 अभियुक्तों 1–खलील 2–मोनू कुमार 3–सोनू 4–राजेश उर्फ राजा 5–अली शेर उर्फ इमरान उर्फ अली 6–प्रमोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 10 चार पहिया वाहन, 19 चाबी, 06 कूट रचित आर0सी0, वाहन चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–113 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–खलील निवासी ग्राम मढन थाना असमौली जनपद सम्भल हाल निवासी फ्लैट नं0–बी–104 सुपरटैक न्यू एम0डी0ए0 थाना पाकबडा जनपद मुरादाबाद।

2–मोनू कुमार निवासी ग्राम मढन थाना असमौली जनपद सम्भल।

3–सोनू निवासी फरीदपुर थाना घरोंदा जनपद करनाल, हरियाणा हाल निवासी सॉई मंदिर रोड भोला कालोनी थाना घरोंदा जनपद करनाल, हरियाणा।

4–राजेश उर्फ राजा निवासी मोहल्ला गोधे वाला मोगा पंजाब हाल निवासी वसंत एवैन्यु, डुगरी रोड लुधियाना पंजाब।

5–अली शेर उर्फ इमरान उर्फ अली निवासी बेलनाडी ग्रीन फील्ड थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

6–प्रमोद निवासी रायपुर जाटान थाना घरोंदा जनपद करनाल, हरियाणा।

बरामदगी

1–चोरी के 10 चार पहिया वाहन।

2–19 चाबी।

3–06 कूट रचित आर0सी0।

4–वाहन चोरी करने के उपकरण आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना साइबर काइम

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 30 हजार 900 रूपये नगद**
- **16 मोबाइल फोन**
- **01 इंटरनेट डोंगल**
- **03 पेमेन्ट डिवाइस, सिमकार्ड, डेबिट कार्ड आदि बरामद**

दिनॉकः 12.07.2024 को थाना साइबर काइम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1–दीपक कुमार 2–प्रभाकर कुमार उर्फ चिकू 3–हिमांशु राज 4–सौरव कुमार 5–आलोक कुमार 6–अभिषेक कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 30 हजार 900 रूपये नगद, 16 मोबाइल फोन, 01 इंटरनेट डोंगल, 03 पेमेन्ट डिवाइस, सिमकार्ड, डेबिट कार्ड आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना साइबर काइम, वाराणसी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक कुमार निवासी दशरथपुर थाना गिरियक जनपद नालन्दा, बिहार स्थायी पता—ग्राम पलटूपुर थाना कतरी सराय जनपद नालन्दा, बिहार।

2—प्रभाकर कुमार उर्फ चिकू निवासी दशरथपुर थाना गिरियक जनपद नालन्दा, बिहार

3—हिमांशु राज निवासी सरबहदी थाना मानपुर जनपद नालन्दा, बिहार।

4—सौरव कुमार निवासी दशरथपुर थाना गिरियक जनपद नालन्दा, बिहार।

5—आलोक कुमार निवासी दशरथपुर थाना गिरियक जनपद नालन्दा, बिहार।

6—अभिषेक कुमार उर्फ छोटू निवासी रघु बिगहा थाना नालन्दा जनपद बिहार।

बरामदगी

1—धोखाधड़ी के 30 हजार 900 रूपये नगद।

2—16 मोबाइल फोन।

3—01 इंटरनेट डोंगल।

4—03 पेमेन्ट डिवाइस, सिमकार्ड, डेबिट कार्ड आदि।

कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना मऊआइमा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये कीमत के 594 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद**

दिनांक 22.07.2024 को थाना मऊआइमा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे ओवर ब्रिज के पास से 02 अभियुक्तों 1—राजदीप 2—पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादही से लगभग 40 लाख रूपये कीमत के 594 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना मऊआइमा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजदीप निवासी गुरूनानक नगर थाना डाबा जनपद लुधियाना पंजाब।

2—पंकज कुमार निवासी जनता नगर थाना डाबा जनपद लुधियाना पंजाब।

बरामदगी

1—लगभग 40 लाख रूपये कीमत के 594 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर।

2—घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक।

- **जनपद बिजनौर/थाना नगीना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन/08 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—पुखराज उर्फ पप्पू 2—मनोज 3—काले उर्फ कल्याण 4—मामराज को धारा 147/302/149/452/323/148 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 26—26 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं एक बाल अपचारी को धारा 147/302/323/452/504 भादवि के अन्तर्गत 08 वर्ष के कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली टाण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कोतवाली टाण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गुड्डू उर्फ हेमन्त को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना मीरापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/506 एवं 376 भादवि सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त उमेश को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 08 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना छतारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त त्रिलोकी को 08 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————